

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या-28 /2018/ 226/ सत्ताईस-1-2018-9(1)/17
लखनऊ: दिनांक: 10 मई, 2018

कार्यालय-आदेश

एल.नं. 2452/क
दि. 14/5/18.

तात्कालिक प्रभाव से जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के निम्नलिखित नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता स्तर-2 को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

| क्र०सं० | अभियन्ता का नाम (सर्वश्री) | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती |
|---------|-------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | विनोद कुमार | नवप्रोन्नत | मुख्य अभियन्ता सरयू परियोजना प्रथम, फैजाबाद। (रिक्त पद पर) |
| 2. | अशोक कुमार सिंह | नवप्रोन्नत | मुख्य अभियन्ता (गण्डक), गोरखपुर। (रिक्त पद पर) |

2- उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायें।

टी० वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

संख्या- 28 /2018/ 226/ (1)/सत्ताईस-1-2018-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
म.
(ओ०पी० सिंह)
अनु सचिव।

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)

(PTO)